



सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद

हॉल सं0-S-1, वसुन्धरा कॉम्प्लैक्स, सैक्टर-16ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

पत्रांक: 2310

/ सं0प्र0 गाजियाबाद /

दिनांक:

28/11/11

पंजीकृत डाक द्वारा

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड हेतु प्रदेशन पत्र

सेवा में,

श्री मै0 गार्डेंडिया इन्डिया लिमिटेडजी0 एच0-8, सिव्0-3, वसुन्धरागाजियाबाद"सिस्टम में नती के माफ़े
सिस्टम में"

विषय:- वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या- 18/CH-12 की नीलामी के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित करना है कि दिनांक 05-05-2010 को हुई नीलामी में आपके द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या- 18/CH-12 के विरुद्ध बोली लगी उच्चतम बोली रू0- 558,000.00 प्रति वर्ग मीटर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। यह प्रदेशन आपको परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत किया गया है। जिसके विरुद्ध आपको निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान करना है :-

- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का क्षेत्रफल 7611.428 वर्गमी0।
- (अ) उच्चतम बोली रू0- 558,000.00 के अनुसार भूखण्ड का मूल्य रू0- 42,47,17,603.00
(ब) कॉर्नर सुल्क उच्चतम बोली का 10 प्रतिशत 42,47,17,603.00 रू0- 11,22,045.00
(स) फी-होल्ड शुल्क 12 प्रतिशत (अ. ब) रू0- /
- कुल मूल्य रू0- 42,58,405.28-00
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह में स्वीकृत मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि रू0- 8,51,68,369.00 जिसमें टोकन धनराशि रू0- 2,30,98,525.00 के समायोजन होने के उपरान्त शेष धनराशि जोकि दिनांक 31.5.2011 तक जमा की जानी है। रू0- 6,20,69,844.00
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से छः माह में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू0- 4,25,84,053.00 जोकि दिनांक 31.8.2011 तक जमा की जानी है। रू0- 4,25,84,053.00
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से नौ माह में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू0- 4,25,84,053.00 जोकि दिनांक 30.11.2011 तक जमा की जानी है। रू0- 4,25,84,053.00
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष में स्वीकृत मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि रू0- 4,25,84,053.00 जोकि दिनांक 28.2.2012 तक जमा की जानी है। रू0- 4,25,84,053.00



आई0एस0ओ0 9001-2000 प्रमाणित



7. स्वीकृत मूल्य की शेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0- 21.29.20.000-00 की 15 प्रतिशत ब्याज सहित 72 मासिक किश्तें देनी होंगी। किश्त की धनराशि रू0- 4.503.258-00 होगी जोकि दिनांक 21.3.2012 से देय होगी। शेष किश्तें इसी क्रम में आगे देय होंगी जिसका भुगतान उसी माह के अन्तिम कार्यदिवस तक किया जा सकता है। विलम्ब की दशा में नियमानुसार 19 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देना होगा।

8. अ - विक्रय विलेख निष्पादन शुल्क

रू0- 300.00

- ब - विज्ञापन व्यय 0.25 प्रतिशत

रू0- 1064602-00

योग

1064902-00

उपरोक्त विवरण के अनुसार देय धनराशि ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, मेवाड इन्स्टीट्यूट, सेक्टर-4, वसुन्धरा शाखा, गाजियाबाद के परिषद खाते में उपरोक्त तिथि तक अवश्य जमा करानी होगी एवं किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर 19 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देय होगा। प्रदेशन पत्र के द्वारा वांछित धनराशि एवं समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि में करनी होगी अन्यथा भूखण्ड का प्रदेशन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा। शेष शर्तें निम्नवत् हैं -

- अ. परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर निर्माण कराने हेतु अनुमन्य अवधि कब्जा प्राप्त करने की तिथि से पांच वर्ष है।

- ब. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का एफ0ए0आर0 2.50 अनुमन्य होगा।

- स. विद्युत/ट्रांसफार्मर का व्यय स्वयं केता को व्यय करना होगा।

- द. भूखण्ड का कब्जा रजिस्ट्री उपरान्त देय होगा। सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इस पत्र पर नीचे अंकित सभी प्रपत्र दिनांक 28.2.2012 तक इस कार्यालय में जमा करा दें अन्यथा रू0- 50.00 प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा कराने की तिथि तक विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रू0-50.00 प्रतिदिन की दर से भौतिक कब्जा लेने की तिथि तक रख-रखाव शुल्क भी देय होगा। नीलामी सम्बंधी विनियमावली एवं प्रदेशन सम्बंधी विनियमावली के नियम व शर्तें लागू होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अंतिम एवं स्वीकार होगा।

- य. समय-समय पर शासन/परिषद द्वारा बनाये गये नियम, आवंटन की तिथि से प्रभावी होंगे।

अधिकारि का हस्ताक्षर रहेगा।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक/उप आवास आयुक्त
उ.प्र. आवास एवं विकास पार्षद

आवंटी द्वारा दिनांक 28.2.12 तक इस कार्यालय में जमा किये गये प्रपत्रों की सूची :-

1. कब्जे से पूर्व भूखण्ड के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी शासनादेश के अनुसार एवं रू0-100.00 का स्टाम्प पेपर जमा करें। स्टाम्प पेपर की गणना समय-समय पर शासन के आदेशानुसार परिवर्तनीय है।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-22 से 5 नग साईट प्लान प्राप्त कर जमा करायें।
3. राजपत्रित अधिकारी से दो फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर जमा करें। कम्पनी/संस्था की दशा में प्रभार प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा।
4. रू0-50.00 फी-होल्ड पुस्तिका शुल्क जमा करा पुस्तिका कार्यालय से प्राप्त करें।
5. रू0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर फी-होल्ड शपथ पत्र